पत्रांकः–04/NULM-03/18. 264 /न0वि0एवंआ0वि0

**बिहार सरकार**

**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषकः–

विशेष सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

**संयोजक,**
बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।
भारतीय स्टेट बैंक, गाँधी मैदान, पटना

पटना, दिनांक 28/01/19

विषयः– राज्य स्तरीय बैंकर्स उप समिति की बैठक आयोजित करने के संबंध में।
संदर्भः– आपका पत्रांक– SLBC/AK/2018-19/460, दिनांक. 09.01.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि जुलाई 2018 से अभी तक राज्य स्तरीय बैंकर्स उप समिति की बैठक आपके द्वारा आयोजित नही की गयी है। विदित हो कि शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु बैंकों से व्यक्तिगत ऋण, तथा समूह ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन बैंकों की नकारात्मक रवैया के चलते इस कार्य में वांछित प्रगति नही हो पाती है। यहाँ तक कि शहरी गरीबों के लाभुकों का खाता खोलने में भी बैंक द्वारा आनाकनी की जाती है तथा ऋण आवेदन पत्रों को महीनों लंबित रखा जाता है। वर्तमान MIS रिपोर्ट के मुताबिक सभी बैंकों में 2824 ऋण आवेदन पत्र लंबित पड़े है। बैंक के उच्चाधिकारियों से बराबर संपर्क में रहने तथा पत्राचार के बावजूद भी उनके नकारात्मक रवैया में परिवर्त्तन नही हो पा रहा है। अगर SLBC उप समिति की बैठक नियमतः आयोजित की जाय तो उपर्युक्त सारी समस्याओं की चर्चा बैठक में की जा सकती है तथा उनका सामाधान भी प्राप्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि SLBC उप समिति की बैठक नियमानुसार नियमित रूप से आयोजित की जाय तथा बैठक में DAY-NULM की समस्याओं को भी एजेंडे के रूप में सम्मिलित किया जाय

~~अनु–यथोक्त~~।

विश्वासभाजन

25.1.19

विशेष सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।